भारत सरकार

गृह मंत्रालय

सीमा प्रबंधन विभाग

.....

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी): संशोधित दिशानिर्देश (जून, 2015)

1. उद्देश्य:

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अन्तर राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित दूरवर्ती एवं अगम्य क्षेत्रों में रह रहे लोगों की विशिष्ट विकासात्मक और अच्छे रहन-सहन की जरूरतों को पूरा करना तथा केन्द्रीय/राज्य/बीएडीपी/स्थानीय स्कीमों एवं भागीदारी दृष्टिकोण के जरिए सीमावर्ती क्षेत्रों में संपूर्ण आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

2. कवरेज:

2.1 सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम शतप्रतिशत केन्द्र द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम बना रहेगा। उक्त कार्यक्रम में 17 राज्यों अर्थात- अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, एवं पश्चिम बंगाल राज्य, जो कि अन्तरराष्ट्रीय भू-सीमाओं का निर्माण करते हैं, के 106 सीमावर्ती जिलों के 381 (लगभग) खण्डों के वे सभी गांव शामिल होंगे, जो अंतर राष्ट्रीय सीमा से 0-10 किमी. के अन्दर स्थित हैं, चाहें ये सीमावर्ती खण्ड अन्तर राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हों अथवा नहीं। इनमे से प्राथमिकता उन गांवों को दी जाएगी जो अन्तर-राष्ट्रीय सीमा से 0-10 किमी. के अन्दर अवस्थित हैं और इनमें से भी उन गांवों को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी पहचान सीमा रक्षक बलों (बीजीएफ) द्वारा की जाएगी और इन्हें सामरिक गांवों के नाम से जाना जाएगा। राज्य सरकारें 0-10 कि.मी. के दायरे में आने वाले गांवों में संपूर्ण सुविधाएं (सैचूरेशन) सृजित करने के बाद ही 0-20 कि.मी. दायरे के अन्दर आने वाले गांवों के अगले सेट का कार्य हाथ में ले सकेंगी। राज्य सरकारें, 0-20 कि.मी. के दायरे में आने वाले गांवों में संपूर्ण सुविधाएं सृजित करने के बाद 0-30 कि.मी. दूरी वाले गांव और फिर इसी प्रकार 0-50 कि.मी. तक की दूरी के अन्दर स्थित गांवों के अगले सेट का कार्य हाथ में ले सकती हैं। राज्य सरकार, जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) से एक प्रमाणपत्र हासिल करेगी और समुचित रूप से संतुष्ट होने के उपरांत उस प्रमाण-पत्र को सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय को भेजेगी, कि 0-10 कि.मी./0-20 कि.मी./0-30 कि.मी./0-40 कि.मी. के दायरे में आने वाले समस्त गांवों में संपूर्ण सुविधाएं सृजित कर दी गई हैं और क्रमश 0-20 कि.मी./0-30 कि.मी./0-40 कि.मी./0-50 कि.मी. के दायरे में आने वाले गांवों के अगले सेट को सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के अंतर्गत लेने के लिए विचार किया जा रहा है। हवाई दूरी को भी गणना में लिया जाएगा। साथ ही सीमा रक्षक बल (बीजीएफ) गांवों की पहचान करेंगे। प्राथमिकता निर्धारित करने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगी प्रथम बस्ती/गांव को 'जीरो' (शून्य) लाइन दूरी वाला गांव माना जाएगा और आगे की दूरी की

गणना इसी गांव से की जाएगी। "सामरिक ग्राम" शब्द उन गांवों के लिए प्रयोग किया जाएगा जिनकी पहचान सीमा रक्षक बलों (बीजीएफ) द्वारा की जाएगी।

2.2 <u>गांव की अवसंरचना संतृप्ति:</u> जिला स्तरीय समितियां 'गांव की संतृप्ति' अवसंरचना की परिभाषा स्वयं निर्मित करेंगी। तथापि 'किसी गांव की संतृप्ति' के लिए उस गांव की न्यूनतम सुविधाओं में रोड कनेक्टिविटी, विद्यालय, जिसमें छात्राओं के लिए अलग शौचालयों की सुविधा हो, स्वास्थ्य सुविधाएं, बिजली, जल आपूर्ति, सामुदायिक केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय विशेषकर महिलाओं के लिए, अध्यापकों तथा स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मकान आदि सुविधाएं शामिल होंगी। परंतु जिला स्तरीय समितियों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे उन गांवों की स्थानीय दशाओं को ध्यान में रखते हुए 'गांवों की संतृप्ति' की परिभाषा के बारे में निर्णय लें।

3. <u>राज्यों को निधियों का आबंटन:</u>

3.1 बजटीय आबंटन दो घटकों में विभाजित किया जाएगा जैसे कि - (i) पहला घटक कुल आबंटन का 40% होगा जो कि (सिक्किम सहित) आठ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए होगा तथा (ii) दूसरा घटक कुल आबंटन का 60% होगा जो कि आठ पूर्वोत्तर राज्यों से इतर अन्य राज्यों के लिए होगा। उक्त निधियों का वितरण आठ पूर्वोत्तर राज्यों तथा पूर्वोत्तर राज्यों से इतर अन्य राज्यों को क्रमश: (i) अंतर राष्ट्रीय सीमा की लम्बाई (ii) सीमावर्ती खण्डों की जनसंख्या (iii) सीमावर्ती खण्डों के क्षेत्रफल के आधार पर, अलग-अलग किया जाएगा। (उपर्युक्त तीनों मापदण्डों का महत्व समान होगा)। दुर्गम क्षेत्र, संसाधनों की कमी तथा निर्माण की उच्च लागत के आधार पर पहाड़ी/रेगिस्तानी तथा कच्छ के रण क्षेत्र को 15% वेटेज प्रदान किया जाएगा। अपेक्षाकृत छोटे राज्य, जिनकी अंतर राष्ट्रीय सीमा कम है और छोटी आबादी है, उन्हें नियत आबंटन प्रदान किया जाएगा। ऐसे गांवों, जो अंतर राष्ट्रीय भू-सीमा से अनुमेय दूरी के अन्दर स्थित हैं, लेकिन वे उन खण्डों में नहीं आते हैं जो अंतर राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, के लिए राज्य सरकारें उपर्युक्त फार्मूले के अनुसार उन्हें (राज्यों को) आबंटित धनराशि की सीमा में ही निधियों का प्रबंध करेंगी।

3.2 जिला प्रशासन सर्व प्रथम संसाधनों का पता लगाएगा और निम्नलिखित को गणना में शामिल करके बीएडीपी के अंतर्गत सम्मिलित किए गए सीमा खण्डों का स्थानिक मानचित्रण तैयार करेगा और तदनुसार ब्लॉक-वार योजना तैयार करेगा:

(i) बीएडीपी निधियों का उपयोग पहली प्राथमिकता के आधार पर 'जीरो' लाइन के समीप के गांवों में विकासात्मक स्कीम के निष्पादन में किया जाएगा।

(ii) सीमा रक्षक बल अपने-अपने क्षेत्रों में सामरिक रूप से प्राथमिकता वाले गांवों की सूची तैयार करेंगे और इसे जिला प्राधिकारियों, राज्य सरकार तथा गृह मंत्रालय को अग्रेषित करेंगे। सीमा रक्षक बलों द्वारा यथा चयनित एवं गृह मंत्रालय द्वारा

अनुमोदित सामरिक सीमावर्ती गांवों को सबसे पहले विकासात्मक गतिविधियों जैसे रोड कनेक्टिविटी, बिजली, पीने के पानी की आपूर्ति, सफाई, स्वास्थ्य, कृषि एवं सहायक क्षेत्रों इत्यादि से संतृप्त (परिपूर्ण) किया जाएगा।

(iii) सामरिक रूप से प्राथमिकता प्राप्त गांवों को संतृप्त (अवसंरचना से परिपूर्ण) करने के बाद अन्य गांवों को विकास कार्य के लिए हस्तगत किया जाएगा।

4. <u>निर्देशक सिद्धांत:</u>

4.1 बीएडीपी निधियों का उपयोग सामान्यत महत्वपूर्ण अंतरालों को पाटने तथा सीमावर्ती आबादी की तातकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। बीएडीपी स्कीमों का नियोजन एवं कार्यान्वयन पंचायती राज संस्थानों/स्वायत परिषदों/अन्य स्थानीय निकायों/परिषदों के माध्यम से भागीदारी एवं विकेन्द्रीकृत आधार पर किया जाना चाहिए।

4.2 सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारें मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था के अन्दर एक नोडल विभाग/प्रकोष्ठ सृजित/नामित करने पर विचार कर सकती हैं। राज्य में बीएडीपी के साथ कार्य करने वाला नोडल विभाग 0-10/0-20/0-30/0-40/0-50 कि.मी. के दायरे में स्थित सीमावर्ती गांवों में संबंधित राज्य/केन्द्रीय स्कीमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के कार्यक्षेत्र संबंधी विभागों जैसे बिजली, ग्रामीण विभाग, ऊर्जा, सड़क एवं भवन, जलापूर्ति, सामाजिक कल्याण, सार्वजनिक वितरण, नागरिक आपूर्ति आदि के साथ व्यक्तिगत बैठकें आयोजित करेगा। भारत सरकार की केन्द्र द्वारा प्रयोजित स्कीमों/अग्रणी स्कीमों और राज्य योजना स्कीमों के अंतर्गत निधियों का सीमावर्ती ब्लॉकों के इन क्षेत्रों में अधिकतम संभाव्य सीमा तक उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत सरकार की विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों/अग्रणी कार्यक्रमों के तहत निधियों का लाभ लेने तथा दिशानिर्देशों में छूट, यदि कोई हो, प्राप्त करने हेतु संबंधित राज्य-विभाग उपयुक्त प्रस्ताव भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अग्रेषित कर सकता है और इसकी एक प्रति सूचनार्थ सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय को भेज सकता है।

4.3 आधारभूत भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना में कमियों/अंतरालों के मूल्यांकन हेतु सीमावर्ती गांवों में एक बेसलाइन सर्वे किया जाएगा। इन अंतरालों को भरने के लिए एक ग्राम-वार योजना सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें राज्य योजना स्कीमों/केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों/भारत सरकार की अग्रणी स्कीमों तथा बीएडीपी के माध्यम से वित्त पोषित परियोजनाओं का उल्लेख किया जाएगा। यह योजना, परियोजनाओं के चयन हेतु एक गाइड-मैप जैसी होनी चाहिए। ऐसी किसी भी योजना में बीएडीपी के साथ विभिन्न केन्द्रीय/राज्य स्कीमों का अभिसरण एवं सामंजस्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर विभिन्न अवसंरचना स्कीमों को 'मनरेगा' के साथ समन्वित किया जा सकता है जिससे कि बीएडीपी के अंतर्गत ली गई परियोजनाओं को ज्यादा से ज्यादा कवरेज प्राप्त हो सके। उन परियोजनाओं को सर्वाधिक प्राथमिकता पर लेने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं, जो भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी भी स्कीम के अंतर्गत कवर नहीं हैं।

4.4 बीएडीपी के अंतर्गत सृजित परिसम्पतियों को अनुरक्षित किया जाना चाहिए और राज्य सरकार द्वारा इसकी अच्छी तरह से मरम्मत की जानी चाहिए। बीएडीपी के अंतर्गत वार्षिक आबंटन के 15 प्रतिशत तक की धनराशि को अनुरक्षण के लिए उपयोग में लाया जा सकता है और शेष राशि राज्य सरकार द्वारा मुहैया करायी जानी चाहिए।

5. <u>योजनाओं का चयन:</u>

5.1 योजनाओं की एक निदर्शी सूची, जिन्हें बीएडीपी के अंतर्गत लिया जा सकता है, <u>अनुलग्नक-I</u> पर उपलब्ध है। ऐसी योजनाओं की सूची, जो बीएडीपी के अंतर्गत अनुमेय नहीं है, <u>अनुलग्नक-II</u> पर प्रस्तुत की गई है। कुछ स्कीमें सीमा रक्षक बलों (बीजीएफ) द्वारा भी सुझाई जा सकती हैं और इन पर व्यय राज्य को किए गए वार्षिक आबंटन का 10% होगा। सुरक्षा से जुड़ी अनुमेय एवं अननुमेय स्कीमों की एक सूची <u>अनुलग्नक-III</u> पर स्थित है।

5.2 इन स्कीमों की योजना, सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोगों द्वारा सामना की जा रही विशेष समस्याओं को धयान में रखकर तैयार की जानी चाहिए। राज्य सरकार, क्षेत्र के समग्र संतुलित विकास के उद्देश्यों और सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना में अंतरालों/कमियों के बारे में राज्य सरकार द्वारा किए गए मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए बीएडीपी के लिए वार्षिक योजना की रूपरेखा निर्मित करेंगे, जिसमें सीमावर्ती इलाकों में विकासात्मक गतिविधियों के लिए राज्य सरकार के पास उपलब्ध अन्य स्रोतों को भी हिसाब में लिया जाएगा। सबसे अधिक जोर रोजगार प्रोत्साहन, उत्पादन मूलक गतिविधियों, सीमावर्ती इलाकों के लोगों के बीच सुरक्षा की एक भावना पैदा करने हेतु कौशल विकास की स्कीमों पर दिया जाना चाहिए ताकि लोगों को अपनी जीविका तलाशने के लिए अन्य इलाकों में न जाना पड़े। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी ऐसे एकल क्षेत्र (सेक्टर) को राज्य के आबंटन का अनुपात से अधिक हिस्सा न प्राप्त हो। इसलिए, इसे सुविधाजनक बनाने के लिए अधिकतम/न्यूनतम सीमा निम्नानुसार सुझायी जाती है:-

सेक्टर	**स्कीम**	**सीमा**	**आबंटन का प्रतिशत**
अवसंरचना (i)	(i) लिकं रोड, पर्वतीय तथा उन दुर्गम क्षेत्रों, जहां सड़क आदि से संपर्क की व्यवस्था नहीं है, लिंक रोड, पुल, पुलिया, पैदल पथ, हेलीपैड	अधिकतम	35
अवसंरचना (ii)	(ii) सुरक्षित पेयजल आपूर्ति	असीमित	
स्वास्थ्य	पीएचसी भवन, चिकित्सा उपकरण, मोबाइल डिस्पेंसरी/एंबुलेंस, चिकित्सा	न्यूनतम	10

	अधिकारियों तथा पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए आवास		
कृषि	कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों के तहत सभी क्रिया-कलाप	अधिकतम	10
सामाजिक क्षेत्र	(क) सामुदायिक केन्द्र, वृद्धों तथा विकलांगों के लिए कामन शेल्टर आदि, विद्युत ट्रैक्स, ट्रांजिट कैंप, शौचालय सुविधा आदि सहित किसान शेड।		15
	(ख) पर्यटन तथा मेजबानी आदि सहित क्षमता निर्माण कौशल विकास	न्यूनतम (महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित किया जाना चाहिए।)	10
	(ग) स्वच्छता, स्वच्छ भारत अभियान, शौचालयों, विशेषत: महिलाओं के लिए शौचालयों का निर्माण, ग्रामीण स्वच्छता आदि।	न्यूनतम	5
शिक्षा	विद्यालय भवन, आवासीय विद्यालय, पुस्तकालय, कंप्यूटर, विज्ञान एवं प्रयोगशाला कक्ष, विद्यालय में कार्यरत शिक्षक एवं अन्य स्टाफ के लिए मकानों का निर्माण	न्यूनतम	10
खेल गतिविधियां	खेल गतिविधियों में खेल के मैदान, मिनी ओपन स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, आडिटोरियम, एडवेंचर स्पोर्ट तथा अन्य खेल संबंधी अवसंरचानएं (बीजीएफ के सुझाव पर) शामिल हैं।	न्यूनतम	5

विशेष/विनिर्दिष्ट क्षेत्र स्कीमें	आदर्श ग्राम, औषधालयों का निर्माण, मोबाइल डिस्पेंसरी, जीवनयापन के लिए समुदाय आधारित अवसंरचना, जैविक खेती को प्रोत्साहन, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, स्वच्छ भारत अभियान, खाद्यानों तथा पशु चारे के लिए गोदाम, ई-चौपाल मोबाइल मीडिया आदि	न्यूनतम (राज्यों द्वारा आरक्षित रखा जा सकता है)	10
अनुरक्षण	प्रत्येक क्षेत्र का 15 प्रतिशत भाग बीएडीपी के तहत सृजित परिसम्पत्ति के अनुरक्षण/मरम्मत, यदि अपेक्षित हो, के लिए उपयोग किया जाए	अधिकतम	15
बीजीएफ द्वारा सुझाए जाने वाली स्कीमें	उपर्युक्त सभी क्षेत्रों में 10% राशि की स्कीमें, जैसा कि बीजीएफ द्वारा सुझाया गया है, शामिल होंगी। बीएडीपी के तहत बीओपी या सीओबी में कोई स्कीम प्रारंभ नहीं की जाएगी।	अधिकतम	10
विभिन्न सेवाओं के लिए आरक्षित रखे जाने हेतु	एमआईएस का कार्यान्वयन, अनुवीक्षण, प्रशासनिक व्यय, सर्वेक्षण, मीडिया प्रकाशन, लॉजिस्टिक सहायता (वाहनों की खरीद के अलावा) आदि	अधिकतम	1.5 अधिकतम केवल 50 लाख तक की सीमा सहित

5.3 ऊपर पैरा सं. 5.2 में सुझाई गई अधिकतम/न्यूनतम सीमा केवल मार्गदर्शन के लिए है तथा राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य नहीं है। यदि, राज्य सरकार यह महसूस करती है कि कोई क्षेत्र विशेष पहले ही विकसित हो चुका है और उस क्षेत्र में आगे और विकास की संभावना नहीं है तो राज्य सरकार उस क्षेत्र विशेष के कोष को सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय को सूचित करते हुए किसी अन्य अल्पविकसित क्षेत्र के विकास के लिए बीएडीपी के तहत अनुमत्य स्कीमों पर व्यय कर सकता है।

5.4 उन कमियों को पूरा करने, जैसाकि पैरा सं. 4.3 के तहत दर्शाया गया है, के लिए परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए एक ग्रामवार विस्तृत दीर्घावधि कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। बीएडीपी की वार्षिक कार्य योजना तीन माह अग्रिम रूप से तैयार कर ली जानी चाहिए और राज्य स्तरीय जांच समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय को अप्रैल/मई तक प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए। औपचारिकताओं, यदि कोई हों, यथा वन, पर्यावरण तथा अन्य स्थानीय निकासियां, भूमि की उपलब्धता आदि को पूरा करने के सबंध में बीएडीपी के तहत विभिन्न परियोजनाओं की सिफारिश करते समय अग्रिम रूप से योजना तैयार की जानी चाहिए।

5.5 जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति नामक एक समिति होनी चाहिए जिसमें जिला वन अधिकारी, जिला योजना अधिकारी, संबंधित जिले का पुलिस अधीक्षक तथा क्षेत्र में विद्यमान सीमा रक्षा बल का कमांडेंट या उपकमांडेंट शामिल होने चाहिए जो बीएडीपी दिशानिर्देशों के तहत कवर होने वाले सीमा खंड में बीएडीपी की योजना तथा कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे।

5.6 जैसाकि पैरा सं.5.4 में निर्दिष्ट है, जिला स्तरीय समिति खंड में ग्रामों के बेसलाइन सर्वेक्षण के माध्यम से ग्राम-वार योजना तैयार करेगी। यह विद्यमान भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना क्षेत्रों में कमियों का मूल्यांकन करेगी तथा उन ओवर आर्चिंग क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर व्यवस्थित ढंग से कार्य करेगी जिनके भीतर विभिन्न विभागीय स्कीमों का चयन किया जाएगा अर्थात् यदि यह किसी ग्राम विशेष का विद्यालय अवसंरचना है तो विद्यालय भवन/अतिरिक्त क्लास रूम, खेल का मैदान/खेल अवसंरचना कंप्यूटर कक्ष, अध्यापकों के लिए क्वार्टर आदि की आवश्यकता/कमी के अनुसार निर्माण करना इसमें शामिल होना चाहिए।

5.7 जिला स्तरीय समिति यह सुनिश्चित करेगी कि बीएडीपी के तहत प्रारंभ स्कीमों का केन्द्र सरकार/राज्य प्लान की चल रही स्कीमों के साथ ओवर लापिंग नहीं हो और साथ ही वह गृह मंत्रालय को तदन्तर अंतरित करने हेतु राज्य

सरकार को वार्षिक कार्य-योजना प्रस्तुत करते समय इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करेगी।

5.8 जिला स्तरीय समिति लोक कल्याण हेतु चलाए जा रहे विकास कार्यक्रमों को केन्द्र/राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न स्कीमों के साथ केन्द्राभिमुख एवं मिलान करेगी और यह विभिन्न स्रोतों यथा पी एम जी एस वाई, एमएनआरईजीए, एसएसए, जलापूर्ति योजना, स्वास्थ्य योजना, सामाजिक विकास योजना, ग्रामीण विकास योजना, पंचायती राज्य योजना, कौशल विकास तथा अन्य स्कीमों के माध्यम से आने वाले कोष को भी देखेगी।

5.9 जिला स्तरीय समिति लोगों की आवश्यकता के विषय में जानने के लिए स्थानीय सांसदों, विधायकों, पी आर एल सदस्यों, स्वायत्त परिषदों, सामुदायिक नेताओं तथा विकास एजेंसियों के साथ परामर्श करेगी और उनके प्रस्तावों को पूरी तरजीह देगी। यह समिति लोगों की प्राथमिकताओं तथा लोक अवसंरचना तथा सेवाओं में कमियों को पूरा करने के लिए समग्र क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के भीतर निर्माण कार्यों के चयन को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय लेगी।

5.10 जैसाकि पैरा 5.4 में निर्दिष्ट है राज्य सरकारें सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमों की वार्षिक कार्य योजना में शामिल करने के लिए अग्रिम रूप से परियोजनाओं/स्कीमों की शेल्फ तैयार करे ताकि सभी निकासियों को प्राप्त कर सके और वर्ष के प्रारम्भ में ही कोष उपलब्ध हो सके। जिला स्तरीय समिति इस स्कीम पर बीजीएफ सहित सभी संबंधितों के साथ चर्चा करे और यह सुनिश्चित करे कि सभी अवसंरचनाओं में महत्वपूर्ण कमियां पूरी कर ली गई हों और अन्य केन्द्रीय/राज्य स्कीमों के साथ केन्द्रभिमुख/मिलान कर लिया गया हो और तदन्तर बीएडीजीपी की वार्षिक कार्य योजना को राज्य स्तरीय जांच समिति के विचारार्थ प्रत्येक वर्ष फरवरी तक राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया जाए। स्कीम/परियोजना तैयार करते समय डीएलसी यह सुनिश्चित करें कि रणनीतिक महत्व के स्थानों पर समिति ग्रामों को प्राथमिकता दी गई हो जैसा कि बीजीएफ द्वारा प्रावधान किया गया है। राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय जांच समिति द्वारा यथानुमोदित बीएडीपी की वार्षिक कार्य योजना मार्च/अप्रैल माह तक सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए। यदि वार्षिक कार्य योजना अप्रैल माह तक प्रस्तुत नहीं की गई हो तो राज्य सरकार उसे उस वर्ष विशेष में कार्यान्वित नहीं कर सकेगी और उस वर्ष के लिए बीएडीपी के तहत आबंटित कोष भी प्राप्त नहीं कर सकेगी।

5.11 राज्य सरकार बीएडीपी की वार्षिक कार्य योजना (एएपी) तैयार करने के लिए निम्नलिखित समय सीमा का अनुपालन करेगी:-

गतिविधि	समय सीमा
ब्लॉक प्राधिकरण, बीजीएफ द्वारा निर्माण कार्य की पहचान करना तथा डीएलसी को प्रस्तुत करना	जनवरी तक
डीएलसी द्वारा अनुमोदित स्कीमों को राज्य नोडल विभाग के साथ परामर्श, अनुमोदन तथा अग्रेषण	फरवरी/मार्च तक
राज्य नोडल विभाग द्वारा जांच तथा एसएलएससी का अनुमोदन तथा गृह मंत्रालय को प्रस्तुत करना	अप्रैल/मई तक
गृह मंत्रालय द्वारा वार्षिक कार्य योजना की जांच बीएडीपी के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी शर्तों के पूरा होने पर निर्भर करती है।	भारत सरकार से कोष की प्राप्ति के एक माह के भीतर
राज्य द्वारा तैयारी, जांच तथा निष्पादन एजेंसियों को कोष जारी करना	भारत सरकार से कोष की प्राप्ति के एक माह के भीतर

5.12 बीजीएफ, बीएडीपी की वार्षिक कार्य योजना में शामिल करने के लिए अपनी स्कीमें तैयार करने हेतु एक स्पष्ट अनुसूची भी तैयार करेगी और उसे सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय को भी एक प्रति देते हुए डीएलसी एवं राज्यों के नोडल विभाग को अग्रिम रूप से प्रस्तुत करेगी तथा संबंधित कमांडेंट/उप कमान्डेंट त्वरित सहक्रियता के लिए डीएलसी के साथ बैठकों में भाग लेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रस्तावों को शामिल किया गया हो, यदि वे उपयुक्त हों।

5.13 जिला स्तरीय समिति यह सुनिश्चित करेगी कि बीएडीपी की वार्षिक कार्य योजना में, खेल गतिविधियों तथा शौचालयों के निर्माण के अलावा 5 लाख रूपए से कम अनुमानित लागत वाली कोई स्कीम शामिल नहीं हो।

6. अधिकार प्राप्त समिति:

6.1 नीतिगत विषय यथा बीएडीपी के दिशा-निर्देश, वह भौगोलिक क्षेत्र जिसके भीतर बीएडीपी का कार्यान्वयन किया गया है, कोष का आबंटन, स्कीम के निष्पादन का मॉडल आदि सचिव, सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित अधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। बीएडीपी की अधिकार प्राप्त समिति का संघटन इस प्रकार है:-

संघटन:

1	सचिव (बीएम), सीमा प्रबंधन विभाग	अध्यक्ष
2	सचिव, व्यय विभाग	सदस्य
3	नीति आयोग के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव से कमतर रैंक के नहीं)	सदस्य
4	अपर/विशेष सचिव तथा वित्त सलाहकार (गृह) गृह मंत्रालय	सदस्य
5-21	17 बीएडीपी राज्यों के मुख्य सचिव अथवा उनके द्वारा नामित (अपने राज्य में भारत सरकार के संयुक्त सचिव रैंक से कम के अधिकारी नहीं)	सदस्य
22	संयुक्त सचिव (के.), गृह मंत्रालय	सदस्य
23	संयुक्त सचिव (एन ई), गृह मंत्रालय	सदस्य
24	संयुक्त सचिव, डोनेर मंत्रालय	सदस्य
25	संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय	सदस्य
26	संयुक्त सचिव, खेल एवं युवा मामला मंत्रालय	सदस्य
27	संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
28	संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सदस्य
29-32	बी एस एफ, आई टी बी पी, एस एस बी तथा असम राइफल्स से प्रत्येक के प्रतिनिधि (आई जी से कम रैंक के नहीं)	विशेष आमंत्रित
33	संयुक्त सचिव (बी एम) गृह मंत्रालय	सदस्य सचिव

6.2 यह अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) राज्यों को कोष के आबंटन के लिए फार्मूला प्राप्त होने पर इन दिशा-निर्देशों के दायरे के भीतर उस संबंधित राज्य जिसके भीतर बीएडीपी कार्यान्वित होगी, की भौगोलिक सीमाओं में बीएडीपी निर्धारण की संभावनाओं से संबंधित नीतिगत मामलों, व कार्यान्वयन की रूपरेखा के लिए उत्तरदायी होगा। यह समिति एक वित्तीय वर्ष में कम से कम तीन बार अवश्य मिलेगी और ऐसे सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित करेगी जो इसके विचारों/निर्णयों को लेने में सहायक सिद्ध हों। परिस्थितियों तथा प्रचालनात्मक कठिनाइयों की तात्कालिकता के कतिपय मामलों तथा सीमांत जनसंख्या की तत्काल शिकायतों को सुलझाने की तत्काल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष बीएडीपी दिशा-निर्देशों में राज्य/क्षेत्र/स्कीम/परियोजना छूट देने के लिए प्राधिकृत हैं।

6.3 किसी वर्ष विशेष में बीएडीपी के बजटीय आबंटन के 5% से कमतर राशि को सुरक्षित रखा जाएगा और उसे तत्काल स्कीमों/परियोजनाओं, आकस्मिकताओं तथा अन्य अनभिज्ञ परिस्थितियों के लिए अध्यक्ष अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष रखा जाएगा। यदि इस प्रकार की कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती है तो इस राशि को वर्ष के अंत में बचत, यदि कोई हों, सहित उन राज्यों को जारी किया जाएगा जिन्हें इस की आवश्यकता हो।

7. राज्य स्तरीय जांच समिति:

7.1 राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बीएडीपी पर एक राज्य स्तरीय जांच समिति होगी, जैसाकि नीचे निर्दिष्ट किया गया है:-

गठन:

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	सचिव, राज्य का योजना विभाग	सदस्य
3.	सचिव, राज्य का गृह विभाग	सदस्य
4.	सचिव, राज्य का वित्त विभाग	सदस्य
5.	सचिव, राज्य का ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
6.	राज्य के लाइन विभागों के संबंधित सचिव, जो सीमा ब्लाकों/जिलों में विभिन्न केन्द्रीय/राज्य परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रहे हैं।	सदस्य
7.	गृह मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि (सीमा प्रबंधन विभाग),	सदस्य
8.	नीति आयोग के प्रतिनिधि	सदस्य
9.	उत्तर पूर्व मामले मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि (उत्तर पूर्व राज्यों के मामलों में)	सदस्य
10.	राज्य के सीमा जिलों के जिला-मजिस्ट्रेट	सदस्य
11.	राज्य के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर तैनात सीमा सुरक्षा बल/ बलों के नोडल अधिकारी	सदस्य
12.	राज्य के बीएडीपी के नोडल विभाग के सचिव	सदस्य सचिव

7.2 इन दिशानिर्देशों की रूपरेखा के अंतर्गत तथा ऐसे सामान्य/विशेष निर्देशों के शर्ताधीन, जो कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा दिए जा सकते हैं, राज्य स्तर की स्क्रीनिंग समिति बीएडीपी के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए स्कीमों की सूची तैयार करेगी तथा गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग को प्रस्तुतीकरण हेतु वार्षिक कार्य योजना को अनुमोदित करेगी। राज्य स्तर स्क्रीनिंग समिति के अधयक्ष (अर्थात मुख्य सचिव) ऐसे सदस्यों को स्क्रीनिंग समिति में सम्मिलित कर सकते हैं जिनको राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति (एसएलएससी) में विचार/निर्णय की प्रक्रिया के लिए आवश्यक समझा जाता है।

7.3 किसी विशेष वर्ष में बीएडीपी के अंतर्गत एक राशि, जो राज्य के आबंटन से 25% अधिक न हो, उसे आरक्षित रखा जाएगा तथा उसे अति-आवश्यक स्कीमों/परियोजनाओं, आकस्मिकताओं तथा अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए अध्यक्ष राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति के निर्णय हेतु रखा जाएगा। यदि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती हैं तो इस राशि को वर्ष के अंत में सीमा ब्लॉकों को जारी कर दिया जाएगा।

7.4 एसएलएससी वर्ष में कम-से-कम दो बार बैठक करेगी। पहली बैठक मार्च/अप्रैल में डीएलसी इत्यादि द्वारा अनुसंशित परियोजनाओं के अनुमोदन एवं निपटान के लिए की जाएगी, जैसा कि अनुवर्ती वर्ष के दिशानिर्देशों में प्रतिबन्धित है। वार्षिक कार्य योजना को पहली बैठक में निपटाना तथा अप्रैल तक इसे सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को संचारित करना आवश्यक है।

7.5 किसी विशेष वर्ष के लिए सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित स्कीम/परियोजनाएं, जैसा कि वार्षिक कार्य योजना में अनुसंशित है, सामान्यत: बदली नहीं जाएंगी। तथापि, सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय में परियोजनाओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन पर तभी विचार किया जाएगा जब उसे प्रचालनात्मक कठिनाईयों/विशेष परिस्थितियों के कारण राज्यों (अर्थात मुख्य सचिव) द्वारा अनुसंशित किया गया हो।

7.6 एसएलएससी की दूसरी बैठक नवम्बर/दिसम्बर में बीएडीपी के अंतर्गत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने, उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं तिमाही प्रगति रिपोर्ट इत्यादि प्रस्तुत करने के लिए आयोजित की जाएगी।

7.7 संबंधित सीमा सुरक्षा बल राज्यों के साथ समन्वय के लिए राज्यवार नोडल अधिकारी नामांकित करेंगे तथा ऐसे अधिकारियों को एसएलएससी की बैठकों के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

7.8 राज्य सरकार बीएडीपी की वार्षिक कार्य योजना को एसएलएससी द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को हर हाल में प्रत्येक वर्ष के अप्रैल तक प्रस्तुत करेगी, जैसाकि अनुलग्नक-v(क) से अनुलग्नक-v (च) में दिए गए प्रपत्र में दिया गया है।

7.9 अपने 100% आबंटन में सीमा सुरक्षा बल द्वारा प्रस्तावित कार्य/परियोजनाओं को प्रपत्रों में इंगित के अनुसार पृथक रूप से दर्शाया जाएगा।

8. <u>कार्यक्रमों के निष्पादन में नम्यता:</u>

8.1 सुगम्यता उपलब्ध कराने हेतु बीएडीपी के अंतर्गत परियोजनाओं को निम्न एजेंसियों द्वारा निष्पादित किया जा सकता है:

(i) राज्य सरकार की एजेंसियां जैसे पी डब्ल्यू डी, पीएचई, ग्रामीण विभाग एजेंसियां, अन्य लाइन विभाग एजेंसियां तथा राज्य सरकार की सार्वजनिक उपक्रमें;

(ii) केन्द्रीय सरकार की एजेंसियां, जैसे सीपीडब्ल्यूडी, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक उपक्रम, सीमा क्षेत्रों में अवस्थित सीमा सुरक्षा बलें;

(iii) पंचायती राज संस्थाए/स्वायत्त जिला परिषदें/पारंपरिक परिषदें, अन्य स्थानीय निकाय एवं ग्राम प्राधिकारी/परिषदें।

स्थानीय जनता की भागीदारी पर उचित बल दिया जाना चाहिए। स्वैच्छिक एजेंसियों, जिनमें स्थानीय गैर सरकारी संगठन/स्वायत संगठन जो किसी तरह की विदेशी सहायता/सहयोग प्राप्त नहीं कर रहे हैं, को सरकार एवं सीमा पर रह रही जनता के बीच परस्पर विश्वास के लिए नियोजित किया जा सकता है।

9. राशि प्रवाह:

9.1 वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले सीमा प्रबंधन विभाग, बीएडीपी के अंतर्गत अगले वर्ष के दौरान राज्यों को आबंटित की जाने वाली धनराशि की जानकारी देगा। धनराशि जारी करने हेतु योजनाओं सहित वार्षिक कार्य योजना जो कि राज्य स्तर स्क्रीनिंग समिति द्वारा यथाविधि अनुमोदित हो, को अनुलग्नक-IV (क) से IV (च) में दिए गए प्रपत्र के अनुसार एमआई एस आवेदन द्वारा अनुलग्नक-V (क) तथा अनुलग्नक-V(ख) में दिए गए प्रपत्र में दी गई सूचना सहित सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय को अग्रेषित किया जाना चाहिए।

9.2 राज्यों को धनराशि दो किस्तों में जारी की जाएगी। अनुवर्ती वर्ष के लिए धनराशि, व्यय की पुष्टि तथा योजनाओं की अनुमोदित सूची की प्राप्ति पर आधारित होगी। राज्य को आबंटन के 90% की पहली किस्त राज्य को पूर्व के वर्षों, सिवाय पिछले वर्ष के, के लिए जारी राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर जारी की जाएगी। यदि पूर्व वर्षों के दौरान, सिवाय पिछले वर्ष के, जारी राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में कोई कमी है तो इसे पहली किस्त जारी करने के समय काट लिया जाएगा। राज्यों को आबंटित शेष 10% की दूसरी किस्त राज्यों को अक्तूबर माह में पूर्व वर्ष में जारी राशि जो 50% से कम न हो, के उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा सितम्बर में समाप्त होने वाले (अर्थात वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही) तिमाही तक की तिमाही प्रगति रिपोर्ट (वास्तविक एवं वित्तीय) के प्रस्तुत किए जाने पर ही जारी की जाएगी।

9.3 पूर्व वर्षों से संबंधित लम्बित उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की सीमा तक, कटौती यदि कोई हो जो उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नहीं किए जाने पर पहली किस्त जारी करते समय की गई थी, उसकी भरपाई दूसरी किस्त जारी करते समय की जाएगी।

9.4 राज्य सरकारों को बीएडीपी के लिए एक पृथक बजट शीर्ष बनाना आवश्यक है। भारत सरकार से धनराशि की प्राप्ति पर राज्य सरकारों द्वारा इसे तत्काल कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी कर दिया जाना चाहिए तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार किसी भी स्तर पर राशि को जमा करके रखना सख्त रूप से प्रतिबंधित है।

10. अनुवीक्षण एवं समीक्षा:

10.1 राज्य सरकारें, बीएडीपी योजनाओं/परियोजनाओं के निरीक्षण के लिए एक संस्थागत व्यवस्था विकसित करेंगी तथा सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। प्रत्येक सीमा ब्लॉक किसी उच्च स्तरीय राज्य सरकार नोडल अधिकारी को आबंटित किया जाना चाहिए जिसे

नियमित रूप से ब्लॉक का दौरा करना चाहिए तथा बीएडीपी योजनाओं के लिए जिम्मेवारी लेनी चाहिए।

10.2 गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण तथा गुण्वत्ता नियंत्रण व्यवस्था होगी। बीएडीपी योजनाओं के औचक निरीक्षण के लिए मंत्रालय एक स्वतंत्र मॉनीटर (व्यक्ति/एजेंसी) नियुक्त करेगा। इस स्वतंत्र मॉनीटर को राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटर विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिसका सभी प्रशासनिक, तकनीकी तथा वित्तीय रिकार्ड पूर्ण रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे। राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटर (एनक्यूएम) अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय तथा राज्य सरकार को तिमाही आधार पर प्रस्तुत करेगा। एनक्यूएम स्कीम के कार्यान्वयन में, यदि आवश्यक हो, सुधारों का भी सुझाव देगा।

10.3 जिला स्तर की समिति बीएडीपी के अंतर्गत कार्यों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण की तथा कार्यों के गुणवत्ता की जिम्मेदारी लेगी तथा तिमाही आधार पर कार्य/योजनाओं की फोटो के साथ राज्य सरकार को आगे गृह मंत्रालय को अग्रेषित करने हेतु एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

10.4 राज्य सरकारें बीएडीपी योजनाओं की मौजूदा जिला स्तर अनुवीक्षण/सतर्कता समिति के द्वारा अनुवीक्षण पर विचार कर सकती है जिनमें स्थानीय संसद सदस्यों/विधान सभा सदस्यों का प्रतिनिधित्व होगा

10.5 तिमाही प्रगति रिपोर्ट, स्कीम-वार सीमा प्रबंधन विभाग को एमआईएस आवेदन द्वारा तिमाही की समाप्ति के कमतर 15 दिन के अंदर प्रस्तुत की जानी चाहिए (जैसा कि अनुलग्नक-VI में प्रपत्र में दर्शाया गया है)। वर्ष-वार समेकित उपयोगिता प्रमाणपत्र सामान्य वित्तीय नियमों के निर्धारित प्रपत्र (जीएफआर 19 क) में वित्तीय वर्ष के अंत होने के एक महिने के अंतर्गत भेजा जाना चाहिए, जैसा कि अनुलग्नक- VII में दिया गया है। परियोजना स्थलों पर एक प्रदर्शन (डिस्पले) बोर्ड रखा जा सकता है जिसमें भारत सरकार के बीएडीपी के अंतर्गत पूरे किए जा रहे/पूरे कर लिए गए कार्यों को इंगित किया गया हो।

10.6 राज्य सरकारें उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से पहले बीजीएफ से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा योजना का कार्य-पूर्ण (कम्पलीशन) प्रमाणपत्र प्राप्त करेंगे, जैसा कि बीजीएफ से गृह मंत्रालय को सुझाव दिया गया है।

10.7 राज्य सरकार विश्लेषण प्रयोजन इत्यादि हेतु सीमावर्ती गांवों/कस्बों में बीएडीपी के अंतर्गत परिसम्पत्तियों की सम्पत्ति सूची तैयार करेगा। ऐसे विवरण को सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय को राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित महत्वपूर्ण स्कीमों पर एक लेख सहित एमआईएस एप्लीकेशन द्वारा संचारित की जानी चाहिए।

10.8 सभी पूरी हो चुकी परियोजनाओं के पूरा हो जाने के पश्चात वेबसाइट पर उनके फोटो अपलोड करवाने हेतु राज्य के जिला मजिस्ट्रेट/उप आयुक्त तथा मुख्य सचिव जिम्मेदार होंगे।

11. <u>मैनेजमेंट इंफोरमेशन सिस्टम (एमआईएस):</u>

11.1 गांव तथा योजना/परियोजना को एक मूल इकाई के बतौर मानकर गृह मंत्रालय में एक उपयुक्त "मैनेजमेंट इंफोरमेशन सिस्टम (एमआईएस)" विकसित किया गया है। इसे प्रभावी रूप से वर्ष 2015-16 से कार्यान्वित किया जाएगा तथा वार्षिक कार्यवाही योजना, धनराशि निर्गमन, अनुवीक्षण तथा ई-फाइलिंग सहित सभी गतिविधियों को एमआईएस एप्लीकेशन से निपटाया जाएगा।

11.2 यहां तक, राज्य सरकारें राज्य के साथ-साथ जिला स्तर पर उस काफी वरिष्ठ व्यक्ति को नोडल अधिकारी बनाएगा जिसको जिले से राज्यों को और राज्यों से गृह मंत्रालय को आंकड़े प्रदान करने की नियमितता तथा परिशुद्धता का निरीक्षण करने तथा राज्य आईटी नोडल अधिकारी ओर जिला आईटी नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का पर्याप्त ज्ञान हो। निर्धारित नोडल अधिकारी बीएडीपी के लिए कार्य में लगे कार्मिकों की कम्प्यूटर प्रशिक्षण आवश्यकताओं के साथ-साथ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा इंटरनेट कनैक्टविटी की मरम्मत का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार होगा। वह लगातार राज्य मुख्यालय पर एनआईसी कोर्डिनेटर के साथ सम्पर्क बनाए रखेगा। जिला मजिस्ट्रेट को अपलीकेशन पर डाटा अपलोड करने और ब्लॉक स्तर के साथ जिला स्तर पर इसके निरंतर रखरखाव के लिए जिम्मेदारी नियत की जाएगी।

12. जमा राशि पर अर्जित ब्याज की उपयोगिता:- किसी भी स्तर पर बीएडीपी निधियों की जमा राशि पर इकठढा हुआ ब्याज बीएडीपी के तहत अतिरिक्त संशोधनों के रूप में माना जाएगा और प्राथमिकता वाले गांवों में बीएडीपी के दिशानिर्देशों के अंतर्गत कवर क्षेत्रों के लिए जिला स्तर समिति द्वारा चलाए जा रहे कार्यों/परियोजनाओं पर उपयोग होगा।

13. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक:- राज्य सरकार बीएडीपी के अंतर्गत चल रहे कार्यों का सी एंड ए जी द्वारा निष्पादित नियमित लेखापरीक्षा करवाएगा और सी एंड ए जी लेखापरीक्षा के पूरा होने के बाद बीएडीपी शीर्ष के तहत व्यय पर सी एंड ए जी के प्रेक्षणों को गृह मंत्रालय प्रदान करता है।

****

अनुलग्नक-I

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमेय स्कीमों/परियोजनाओं की दृष्टांत स्वरूप सूची।

बीएडीपी निधियां सामान्यत: विभिन्न केन्द्रीय/राज्य स्कीमों के अंतर्गत उपयोगी निधियों के बाद सकंटमय अंतरालों को पूरा करने के लिए और सीमा आबादी की तत्काल आवश्कताओं को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाएगा। मूलभूत, शारीरिक और सामाजिक अवसंरचना में अंतराल को निर्धारित करने के संबंध में एक बेस लाइन सर्वेक्षण सीमावर्ती गांवों में चलाया जाएगा और बीएडीपी के साथ विभिन्न केन्द्रीय/राज्य स्कीमों की समाभिरूपता सुनिश्चित की जाएगी।

2. बीएडीपी श्रेणी के अंतर्गत चलाई जा रही विभिन्न स्कीमें/परियोजनाएं व्याख्यात्मक रूप में नीचे दी गई है:

1) (क) अवसंरचना (I)

(i) पहाड़ी, एवं अगम्य क्षेत्रों जहां, सड़क से सम्पर्क नहीं, में अप्रोच सड़कों, लिंक रोड पुल, पुलिस, फुट ब्रिज, फुट सस्पेंशन ब्रिज, फुटपाथ, पाथवे, रोपवे, स्टेप्स/मेसनरीस्टेप्स, हलीपेड का निर्माण एंव सुदृढ़ता;

(ख) अवसंरचना (II)

(i) स्वच्छ पेयजल आपूर्ति

(ग) अन्य अवसंरचना

(i) सीमावर्ती क्षेत्रों में साप्ताहिक हाटों/बाजारों तथा सांस्कृतिक गतिविधियों इत्यादि के लिए अवसंरचना का विकास

(ii) नए पर्यटन केन्द्रों का सृजन

(iii) नई एवं नवीनीकरण ऊर्जा: बायोगैस/बायोमास गैसीफीकेशन, सोलर एवं वाइंड इनर्जी एवं छोटे हाइडल प्रोजेक्ट- समुदाय प्रयोग एवं संबंधित गतिविधियों के लिए व्यवस्था/यंत्र

(iv) उद्योगों के लिए अवसंरचना का विकास-स्थानीय निवेश से लघु उधोग अर्थात हेंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर मेकिंग, छोटी इकाई, ब्लेक स्मिथ वर्क, इत्यादि एवं खाद्य प्रसंस्करण उधोग;

(v) ग्रामीण पर्यटन/सीमावर्ती पर्यटन को बढ़ाना

(vi) धरोहर स्थलों का संरक्षण

(vii) लिंक रोड, सार्वजनिक भवनों के संरक्षण के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षित दिवार

(viii) जल निष्पादन व्यवस्था इत्यादि के भाग के रूप में नाली/गटर

2) <u>स्वास्थ्य</u>

(i) सीमावर्ती गांवों में स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत डाक्टरों, परचिकित्सक एवं अन्य अधिकारियों के लिए मकानों का निर्माण

(ii) भवन अवसंरचना (पीएचसी/सीएचसी/एसएचसी)

(iii) आधारिक/प्रारंभिक तरह के चिकित्सा उपकरणों का प्रावधान

(iv) दंत चिकित्सालय, पेथोलोजिकल लेब इत्यादि के लिए एक्स-रे, ईसीजी मशीनों, उपकरणों को भी खरीदा जा सकता है।

(v) सरकार/पंचायती राज संस्थानों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में टेली मेडिसीन सहित मोबाइल डिस्पेंसरियों/एबुलेंसों की स्थापना।

(vi) सीमावर्ती गांवों में एचएससी/डिस्पेंसरियों के चारों तरफ बाउंड्री वाल/कांटेदार तार का निर्माण

3) <u>कृषि एवं संबंध क्षेत्र</u>

(i) पशुपालन एवं डेयरी

(ii) मत्स्य पालन

(i) रेशम उत्पादन

(ii) मुर्गी पालन/मछली/सुअर/बकरी/भेड़ पालन

(iii) जंगल, बागवानी/पुष्प कृषि

(iv) सिंचाई बांध का निर्माण अथवा लिफ्ट सिंचाई अथवा वाटर टेबल

(v) जल संरक्षण कार्यक्रम

(vi) सरकारी और सामुदायिक भूमि अथवा चारागाह भूमि सहित अन्य छोड़ी गई भूमि में सामाजिक वानिकी, पार्क, उधान

(vii) पशु चिकित्सा सहायता केन्द्र, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र और प्रजनन केन्द्र

(viii) स्केल अर्थव्यवस्था - बैकवर्ड-फारवर्ड सिंचाई को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र विशिष्ट पद्धति

(ix) खेतीबाड़ी में आधुनिक/वैज्ञानिक तकनीक के प्रयोग के लिए किसानों को कौशल विकास प्रशिक्षण

4) <u>सामाजिक क्षेत्र</u>

(i) सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण।

(ii) आंगनवाड़ियों का निर्माण।

(iii) सांस्कृतिक केन्द्रों/सामुदायिक हाल।

(iv) वृद्ध अथवा अपाहिजों के लिए कॉमन शैल्टर्स का निर्माण।

(v) ट्रांजिट कैम्पों स्टेजिंग हट्स/प्रतिक्षा शैड/बारिश शैलटर्स शौचालयों का निर्माण। बाड़ इत्यादि के गेटों पर शौचालयों के साथ किसान शैड।

(vi) आंगनवाड़ियों सहित सार्वजनिक भवनों के चारों तरफ चाहरदिवारी/कांटेदार तार की बाड़ का निर्माण।

(vii) स्लम क्षेत्र तथा एससी/एसटी निवास स्थानों और पर्यटन केन्द्रों, बस स्टैंण्ड इत्यादि सहित विशेषकर महिलाओं एवं सार्वजनिक स्थानों के लिए सीमावर्ती गांवों में ग्रामीण स्वच्छता/शौचालय ब्लॉक। अलग शौचालयों पर जोर विशेषकर महिलाओं के लिए।

(viii) सीमावर्ती गांवों में स्वच्छ भारत अभियान।

(ix) युवकों को स्व-रोजगार हेतु व्यावसायिक अध्ययन एवं प्रशिक्षण और कारीगरों, जुलाहों, किसानों इत्यादि कौशल उन्नयन, पर्यटन एवं मेजबानी में कौशल विकास इत्यादि के माध्यम से क्षमता निर्माण कार्यक्रम, मुख्य ध्यान महिला श्रमिकों पर दिया जाना चाहिए।

(x) बिजली, पानी आदि जैसी नागरिक सुविधाओं का प्रावधान।

5) <u>शिक्षा:</u>

(i) सीमावर्ती क्षेत्रों में शिक्षा क्षेत्र में व्यस्त शिक्षकों एवं अन्य अधिकारियों के लिए मकानों का निर्माण।

(ii) प्राथमिक/मिडल/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन (अतिरिक्त कमरों सहित)

(iii) हॉस्टल/डोरमेटरी का निर्माण।

(iv) सार्वजनिक पुस्तकालयों और अध्ययन कक्ष।

(v) आवश्यक अवसंरचना एवं इंटरनेट कनैक्टिविटी के साथ कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं का निर्माण।

(vi) आवश्यक अवसंरचना के साथ विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण।

(vii) पहाड़ी क्षेत्रों एवं सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में, जहां कहीं संभव हो, विद्यमान आवासीय विद्यालयों का निर्माण एवं छात्रावास का निर्माण।

(viii) विद्यालयों का निर्माण/विद्यमान विद्यालयों में अवसंरचना को बल प्रदान करना, यथा कमरा, प्रयोगशालाएं, कम्प्यूटर कक्षों, खेल सुविधाएं, लड़कियों के लिए छात्रावास सुविधा आदि।

(ix) लड़कियों हेतु शौचालय सहित विद्यालयों में शौचालय निर्माण।

(x) विद्यालय, छात्रावासों/शयनागारों, खेल के मैदान, पुस्तकालय और अध्ययन कक्षों के चारों और चाहरदिवारी/कंटीले तार का घेराव।

6. <u>खेल के मैदान की गतिविधियां:</u>

(i) खेल के मैदान का विकास।

(ii) मुक्केबाजी, तीरंदाजी, निशानेबाजी, मार्शल आर्ट, जुडो कराटे एवं साहसिक खेलों सहित अन्य लोकप्रिय खेल।

(iii) खेलों की अवसंरचना का विकास: पर्यटन/खेल/साहसिक खेल योजना-सीमा प्रखंडों में, जहां कहीं व्यवहार्य हो, पर्यटन एवं खेल सहित विश्वस्तरीय अवसंरचना का निर्माण, कच्छ के रण में रॉक क्लेंबिंग, पर्वतारोहण, रिवर राफ्टिंग, फोरेस्ट ट्रेकिंग, स्कीईंग एवं सफारी (कार/बाईक रेस, कैमल सफारी, याक रैडिंग, नौकायान।

(iv) मान्यताप्राप्त जिलों या राज्य खेल संघों के लिए तथा सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों या चिकित्सालाओं के लिए भवनों का निर्माण (व्यायामशाला केन्द्रों में, खेल संघों में शारिरिक प्रशिक्षण संस्थानों आदि में मल्टी-जिम सुविधा की व्यवस्था)।

(v) मिनी ओपन स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, आडीटोरियम आदि का निर्माण।

7. <u>विशेष/विनिर्दिष्ट क्षेत्र योजनाएं:</u>

(i) आदर्श ग्राम, सीमा के निकट पांच छः गांवों से घिरे अच्छी खासी आबादी के कम से कम एक गांव का समेकित विकास।

(i) स्वास्थ्य: औषधालय, सचल चिकित्सालय/एंबुलेंस, जिसे आवश्यक पोर्टेबल उपकरणों से युक्त किया गया हो।

(ii) जीविकोपार्जन: समुदाय आधार पर अवसंरचना यथा चरागाह, मवेशी के लिए शेड्स (केवल गरीबी रेखा से नीचे के लोगों हेतु) मत्स्य पालन हेतु तालाब, बहु-उपयोगी सामुदायिक केन्द्र, विपणन यार्डस, मिनी हाट, स्थानीय कारीगरों के लिए कुटिर/लघु उद्योग हेतु सामान्य औद्योगिक शेड्स, गौशाला के साथ जुड़ा लघु जैवकीय खाद का स्थान।

(iii) जैवकीय कृषि का संवर्धन।

(iv) ऊर्जा: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा यथा- सौर और लघु जल विद्युत परियोजनाएं, बायोगैस, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि।

(v) पर्यटनः पर्यटन अतिथिशालाएं, साहसिक पर्यटन सुविधाएं, पर्यटन स्थानों पर कैंटिन, पार्किंग, जन सुविधाएं, ग्रामीण पर्यटन हेतु सुविधा, विरासत स्थलों की सुरक्षा, पर्यटन एवं आतित्थ में कौशल उन्नयन आदि।

(vi) स्वच्छ भारत अभियानः विद्यालयों/सार्वजनिक स्थानों में शौचालय का निर्माण विशेषकर महिलाओं के लिए।

(vii) पहाड़ी क्षेत्रों में, विशेषतः अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर के हिमाच्छादित क्षेत्रों में खाद्यान्नों और चारा के लिए भंडार गृह।

(viii) ई-चौपाल, एग्रीशोप्स, मोबाइल मिडिया वैन आदि।

अनुलग्नक।।-

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अननुमेय कार्य की सूची:

बीएडीपी के अंतर्गत ठोस संपतियों का निर्माण। विनिर्दिष्ट ग्रामों/व्यक्तियों को लाभान्वित करने की प्रकृति वाली छोटी योजनाओं को राज्य सरकार द्वारा उनके विकासात्मक पहलों के अंतर्गत क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है।

बीएडीपी के अंतर्गत निम्नांकित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्य अनुमेय नहीं है:-

अवसंरचना:

i) निजी लाभ की कोई योजना (जैसे कि निजी बस्तियों, डेरा और निजी कृषि क्षेत्रों में स्थापित धानियों, फार्म हाउसों आदि में सड़कें)।
ii) कब्रगाह/श्मशान घाट में क्रीमेशन शेड्स का निर्माण और चाहर- दीवार।
iii) कुप्स/नाला/खाला की सफाई।
iv) तालाबों का घेराव दीवार/जल धारण दीवार।
v) स्थानीय निकाय के कार्यालयों हेतु भवन, पटवारखाना, पंचायत घर, बीडीओ, डीसी, कर्मचारियों हेतु आवास (सीमा क्षेत्रों के विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों तथा सीमा पार के ग्रामों में पैरा-मेडिको के घरों को छोड़कर), सर्किल भवन, निरीक्षण बंगला आदि का निर्माण।
vi) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत क्रियान्वित किए जाने वाले किसी प्रकार के कार्य।

स्वास्थ्य:

i) स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम।
ii) नेत्र शिविर।
iii) आरसीएच कार्यक्रम।
iv) ब्लड बैंक।
v) मलेरिया, फिलेरिया, लिप्रोसी, एड्स आदि का नियंत्रण।
vi) आयाओं के लिए प्राथमिक चिकित्सा सहायता किट्स।

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र:

i) गांवों, शहरों एवं नगरों में तालाबों की सफाई।
ii) निकासी सुविधाएं।
iii) मृदा संरक्षण- भूक्षरण की सुरक्षा- बाढ़ से संरक्षण।
iv) उन्नत बीज, खाद्य एवं प्रोन्नत तकनीकी का उपयोग।
v) जैविक कृषि।

शिक्षा:

i) विद्यालय पोशाक/किताब की खरीद।

ii) वयस्क शिक्षा।

iii) पुस्तक/पत्रिका।

iv) टीवी/डीश एनटीन

सीमा सुरक्षा बलों द्वारा बीएडीपी के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की अनुमेय और अननुमेय मदों की सूची:

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बलों द्वारा सीमावर्ती आबादी के लिए निम्नांकित विकासात्मक प्रकृति की योजनाएं उनके कल्याणार्थ सिफारिश/क्रियान्वित की जा सकती हैं। इन योजनाओं पर व्यय इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य को किए गए वार्षिक आबंटन की राशि से 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए:

क) पोर्टर ट्रैक्स, झूला पुल, सीमा सुरक्षा बलों की आवाजाही हेतु आवश्यक सड़कें।

ख) सीमा क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति, इसमें जलशोधक/आर.ओ. प्रणाली की स्थापना शामिल है।

ग) सीमावर्ती गांवों में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा सहित बिजली, लघु पन बिजली परियोजना आदि।

घ) गांवों में सम्पर्क सड़कें।

ङ) ट्रांजिट शिविर/स्टेजिंग हट्स/प्रतीक्षात्मक शेड्स/वर्षा से बचने का आश्रय, जिसमें शौचालय की व्यवस्था हो, और जो पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन संभावित क्षेत्र के निकट गस्ती मार्ग पर स्थित हो तथा बाड़ के गेट पर किसान शेड्स और शौचालय या बीजीएफ के विचार से जहां आवश्यक हो और स्थानीय आबादी के लिए यथा-आवश्यक निर्माण।

च) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के दिशानिर्देशों की सीमा के भीतर सीमावर्ती आबादी के लाभार्थ कोई अन्य मद।

2. सीमा रक्षक बल (बीजीएफ) सीमा के युवकों की खेल-गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगा। ये गतिविधि मुक्केबाजी, तीरंदाजी, निशानेबाजी, मार्शल आर्टस, जुडो-कराटे आदि तथा साहसिक खेलों सहित अन्य खेल, विद्यालयों में ऊंट/घोड़ा सवारी में प्रशिक्षण, पर्वतारोहण, चट्टान पर चढ़ना, ट्रेकिंग आदि खेल व गतिविधियां शामिल हैं, जिसमें युवक प्रशिक्षण लेना चाहते हों। बीजीएफ इस उद्देश्य हेतु मंच और कोच की व्यवस्था करेगा ताकि खेलों में बच्चों को निखारा जा सके।

3. अपेक्षाओं के अनुसार खेल के मैदान, स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, आडीटोरियम, शूटिंग रेंज आदि जैसी अवसंरचना का विकास/निर्माण कर सीमा रक्षक बलों की सिफारिश पर मुहैया कराई जा सकती हैं। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आवश्यक खेल-सामग्री, उपकरण, किट्स भी उपलब्ध कराया जाए जिसमें शस्त्र एवं गोलाबारुद शामिल न हो। इस उद्देश्य हेतु राज्य को आबंटित राशि के 10% को 2015-16 से आगे के वर्षों में उपयोग किया जा सकता है। यह लाभ उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित योजनाओं हेतु चिह्नित 10% के आबंटन के अतिरिक्त होगा।

4. तथापि, ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य-स्तरीय जांच समिति का अनुमोदन एक पूर्व-शर्त है, यह राज्य की वार्षिक कार्य योजना का एक भाग होगा। बीएडीपी

के अंतर्गत बीजीएफ की ऐसी अनुशंसित एवं क्रियान्वित योजनाएं जिला-स्तरीय समिति, राज्य/केन्द्र सरकार-स्तरीय समिति के संबंधित अधिकारी और इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा नियुक्त तृतीय-पक्षीय निरीक्षण एजेंसी द्वारा निरीक्षण के लिए खुली होंगी।

5. बीएडीपी के अंतर्गत निम्नांकित कार्य अनुमेय नहीं हैं:

(क) किसी तरह की ऐसी योजनाएं/कार्यक्रम, जिसके तहत गृह मंत्रालय द्वारा निधियां निर्मुक्त की जाती हैं, यथा दवा की खरीद, आंख का शिविर आदि।

(ख) गाड़ी/नाइट विजन डिवाइस/अन्य उपकरण आदि।

(ग) बैरकों, मचान, वाच टावर, आवास, सामान्य अवसंरचना आदि के निर्माण सहित बीओपी के भीतर किसी प्रकार की अवसंरचना।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)

वर्ष _____ के लिए बी ए डी पी हेतु वार्षिक कार्य योजना

राज्य का नाम: _____

एस एल एस सी की बैठक आयोजित की गई: _____

क्रम सं.	क्षेत्र तथा योजना/परियोजना का नाम	स्थान			चालू वर्ष के लिए योजना का अनुमोदित परिव्यय	योजना को पूर्ण करने का लक्ष्य	क्या योजना नई है	क्या योजना विगत वर्ष से चली आ रही है		चालू वर्ष में अपेक्षित निधियां	टिप्पणियां
		जिला	ब्लॉक	ग्राम				चालू होने का वर्ष	पहले प्रयोग की जा चुकी निधियां (वर्ष वार)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1(क)	अवसंरचना (I)										
(ख)	अवसंरचना (II)										
(ग)	अन्य अवसंरचना										
2	स्वास्थ्य										
3	कृषि एवं सहायक क्षेत्र										
4	सामाजिक क्षेत्र										
5	शिक्षा										
6	खेल गतिविधियां										
7	विशेष/विशिष्ट क्षेत्र योजनाएं										
	कुल										

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)

वर्ष_____ के लिए बी ए डी पी हेतु वार्षिक कार्य योजना

राज्य का नाम : _____

एस एल एस सी की बैठक आयोजित की गई: _____

सीमा रक्षक बलों द्वारा सूझाए गए कार्यों/योजनाओं को दर्शाने वाला प्रारूप:

क्रम सं.	क्षेत्र तथा योजना/परियोजना का नाम	स्थान			चालू वर्ष के लिए योजना का अनुमोदित परिव्यय	योजना को पूर्ण करने का लक्ष्य	क्या योजना नई है	क्या योजना विगत वर्ष से चली आ रही है		चालू वर्ष में अपेक्षित निधियां	टिप्पणियां
		जिला	ब्लॉक	ग्राम				चालू होने का वर्ष	पहले प्रयोग की जा चुकी निधियां (वर्ष वार)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1(क)	अवसंरचना (I)										
(ख)	अवसंरचना (II)										
(ग)	अन्य अवसंरचना										
2	स्वास्थ्य										
3	कृषि एवं सहायक क्षेत्र										
4	सामाजिक क्षेत्र										
5	शिक्षा										
6	खेल गतिविधियां										
7	विशेष/विशिष्ट क्षेत्र योजनाएं										
	कुल										

अनुलग्नक – IV (ग)

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)

वर्ष_____ के लिए बी ए डी पी हेतु वार्षिक कार्य योजना

राज्य का नाम :_____

एस एल एस सी की बैठक आयोजित की गई:_____

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत सृजित परिसम्पतियों के रखरखाव संबंधी कार्यों/योजनाओं को दर्शाने वाला प्रारूप:

क्रम सं.	क्षेत्र तथा योजनाओं/परियोजना का नाम	स्थान			चालू वर्ष के लिए योजना का अनुमोदित परिव्यय	योजना को पूर्ण करने का लक्ष्य	क्या योजना नई है	क्या योजना विगत वर्ष से चली आ रही है		चालू वर्ष में अपेक्षित निधियां	टिप्पणियां
		जिला	ब्लॉक	ग्राम				चालू होने का वर्ष	पहले ही प्रयोग की जा चुकी निधियां (वर्ष वार)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1(क)	अवसंरचना (I)										
(ख)	अवसंरचना (II)										
(ग)	अन्य अवसंरचना										
2	स्वास्थ्य										
3	कृषि एवं सहायक क्षेत्र										
4	सामाजिक क्षेत्र										
5	शिक्षा										
6	खेल गतिविधियां										
7	विशेष/विशिष्ट क्षेत्र योजनाएं										
	कुल										

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)

वर्ष_____ के लिए बी ए डी पी हेतु वार्षिक कार्य योजना

राज्य का नाम : _____

एस एल एस सी की बैठक आयोजित की गई: _____

खेल क्षेत्र के तहत परियोजनाओं/योजनाओं/गतिविधियों को दर्शाने वाला प्रारूप:

क्रम सं.	क्षेत्र तथा योजना/परियोजना का नाम	स्थान			चालू वर्ष के लिए योजना का अनुमोदित परिव्यय	योजना को पूर्ण करने का लक्ष्य	क्या योजना नई है	क्या योजना विगत वर्ष से चली आ रही है		चालू वर्ष में अपेक्षित निधियां	टिप्पणियां
		जिला	ब्लॉक	ग्राम				चालू होने का वर्ष	पहले प्रयोग की जा चुकी निधियां (वर्ष वार)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	खेल के मैदान										
2	इंडोर स्टेडियम										
3	सभागार										
4	खेल का सामान										
5	अन्य खेल गतिविधियां (प्रत्येक गतिविधि को अलग से दर्शाया जाए)										
6	विविध (विवरण दिया जाए)										
	कुल										

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)

वर्ष_____ के लिए बी ए डी पी की वार्षिक कार्य योजना

राज्य का नाम :_____

एस एल एस सी की बैठक आयोजित की गई:_____

क्षमता निर्माण, कौशल विकास इत्यादि से संबंधित योजनाओं को दर्शाने वाला प्रारूप:

क्रम सं.	दिए जाने वाले प्रशिक्षण का प्रकार	स्थान			चालू वर्ष के लिए योजना का अनुमोदित परिव्यय	योजना को पूर्ण करने का लक्ष्य (अर्थात लाभन्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या)	प्रशिक्षण देने वाली एजेंसी का नाम	टिप्पणियां
		जिला	ब्लॉक	ग्राम				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	कुल							

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)

वर्ष _____ के लिए बी ए डी पी की वार्षिक कार्य योजना

राज्य का नाम : _____

एस एल एस सी की बैठक आयोजित की गई: _____

उन कार्य मदों पर व्यय के विवरण को दर्शाने वाला प्रारूप जिन पर आबंटन (अधिकतम 50 लाख) के 1.5% को मॉनीटरिंग, स्टॉफ के प्रशिक्षण, बी ए डी पी के मूल्यांकन, प्रशासनिक व्यय, सर्वेक्षण, संभारतंत्र संबंधी सहायता, मीडिया प्रचार इत्यादि के लिए खर्च किया गया

क्रम सं.	उन मदों का विवरण जिनके लिए निधियां प्रयोग की जाएंगी	स्थान			अनुमोदित परिव्यय	पूर्ण करने का लक्ष्य	चालू वर्ष के दौरान बुक किया गया व्यय	टिप्पणियां
		जिला	ब्लॉक	ग्राम				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	कुल							

गृह मंत्रालय

सीमा प्रबंधन विभाग

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

वर्ष _____. के लिए वार्षिक कार्य योजना

राज्य का नाम : _____

राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक आयोजित की गई: _____

जिले का नाम: _____

ब्लॉक का नाम: _____

सीमावर्ती ब्लॉक में प्रयोग की जाने वाली निधियों का योजना-वार ब्यौरा

क्रम सं.	योजना का नाम	ब्लॉक में प्रयोग की जाने वाली राशि	टिप्पणियां
1.	राज्य के संसाधनों से बाहर (उन क्षेत्रों का उल्लेख करें जिनमें वर्ष के दौरान निधियां प्रयोग की जाएंगी)		
	क. राज्य योजना		
	ख. जिला योजना		
2.	भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना (वर्ष के दौरान ब्लॉक में प्रयोग की जाने वाली योजना-वार राशि का विवरण दें)		
	i. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई)		
	ii. त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति (ए आर डब्ल्यू एस)		
	iii. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी)		
	iv. ग्रामीण टेलीफोनी		
	v. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर जी जी वी वाई)		
	vi. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)		
	vii. सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी एंड सी) – निर्मल भारत		
	viii. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन एच आर एफ)		
	ix. सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए)		
	x. मिड-डे मील कार्यक्रम		
	xi. एकीकृत बाल विकास योजना (आई सी डी एस)		
	xii. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान विधि (बी आर जी एफ)		
	xiii. राजीव गांधी खेल अभियान (आर जही के ए)		
	xiv. कौशल विकास योजनाएं इत्यादि		
	xv.		
3.	अन्य केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित योजनाएं (सी एस एस)		
4.	कोई अन्य स्त्रोत (जैसे कि ऋण इत्यादि)		
5.	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी ए डी पी)		

गृह मंत्रालय

सीमा प्रबंधन विभाग

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

वर्ष_____ के लिए वार्षिक कार्य योजना

राज्य का नाम : _____

राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति (एस एल एस सी) की दिनांक _____ को बैठक आयोजित की गई

जिले का नाम :_____

ब्लॉक का नाम:_____

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत वार्षिक कार्य योजना में प्रयुक्त निधियों का क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्रम सं.	क्षेत्र का नाम	सृजित सम्पतियों की संख्या	प्रयुक्त राशि (लाख रु. में)
	i. (क) अवसंरचना (I) (क) सड़कें/लिंक रोड (लम्बाई कि.मी. में) (ख) पुल/पुलिया/एफ एस बी (लम्बाई कि.मी.में) (ग) फुटपाथ/पाथवे/रोपवे (घ) सीढिया/ईट की सीढियां (ङ) हैलीपेड **(ख) अवसंरचना (II)** सुरक्षित पेय जलापूर्ति **(ग) अन्य अवसंरचना** ii. **स्वास्थ्य** i) डॉक्टरों एवं परा चिकित्सकों के लिए घर ii) भवन iii) चिकित्सा उपकरण iv) मोबाइल डिस्पेंसरी/एम्बुलेंस v) सीमा दीवार (मी. में) **iii. कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र** **iv. सामाजिक क्षेत्र;** क) सामुदायिक केन्द्र ख) सांस्कृतिक केन्द्र ग) पर्यटन घ) आंगनवाड़ी ङ) वृद्धों एवं अशक्त व्यक्तियों इत्यादि के लिए आश्रय च) क्षमता निर्माण/कौशल विकास/रोजगार सृजन पर्यटन एवं आतित्थय सत्कार सहित		

	छ) ग्रामीण स्वच्छता/स्वच्छ भारत अभियान ज) शौचालयों का निर्माण (i) पुरूष (ii) महिलाएं (iii) अन्य **v)** शिक्षा i) शैक्षणिक एवं अन्य स्टॉफ हेतु घर ii) विद्यालयों/प्रयोगशालाओं/कम्प्यूटर कक्षों की संख्या iii) रिहायशी स्कूल iv) पुस्तकालय v) सीमा दीवार (मी.में) **vi)** खेल गतिविधियां i)खेल के मैदान ii)छोटे खुले स्टेडियम iii) इंडोर स्टेडियम/सभागार iv)एडवेंचर स्पोर्टस v)खेल का सामान **vii)** विशेष/विशिष्ट क्षेत्र योजनाएं: क) आदर्श ग्राम ख) मोबाइल डिस्पेंसरी ग) आजीविका घ) आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना ङ) विद्युत च) पर्यटन छ) स्वच्छ भारत अभियान ज) वेयरहाऊस **vii)** परिसम्पतियों का रखरखाव: **viii)** उपरोक्त क्षेत्रों में सीमा रक्षक बलों (बी जी एफ) तथा अन्य सुरक्षा बलों द्वारा सुझाई गई योजनाएं क्षेत्र-वार पृथक से दर्शाई जानी चाहिए **ix)** रिजर्व निधि के तहत शुरू किए गए कार्य/योजनाएं i) अनुवीक्षण ii) प्रशासनिक व्यय iii) एम आई एसव का क्रियान्वयन iv) डी ई ओ v) अन्य		
	कुल:		

अनुलग्नक – V I

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)

दिनांक ----------को समाप्त तिमाही के लिए बी ए डी पी की तिमाही प्रगति (वित्तीय एवं भौतिक) संबंधी रिपोर्ट

राज्य का नाम : ----------

क्रम सं.	क्षेत्र तथा योजनाओं/परियोजना का नाम	स्थान			योजना शुरू होने का वर्ष	अनुमोदित परिव्यय	कार्य को पूर्ण करने की तारीख सहित वास्तविक लक्ष्य	अब तक किया गया व्यय (वर्ष-वार)	तिमाही के दौरान व्यय	तिमाही तक संचित व्यय	वास्तविक प्रगति		टिप्पणियां
		जिला	ब्लॉक	ग्राम							तिमाही के दौरान % में	तिमाही तक संचयी % में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		14
1(क)	अवसंरचना (I)												
(ख)	अवसंरचना (II)												
(ग)	अन्य अवसंरचना												
2	स्वास्थ्य												
3	कृषि एवं सहायक क्षेत्र												
4	सामाजिक क्षेत्र												
5	शिक्षा												
6	खेल गतिविधियां												
7	विशेष/विशिष्ट क्षेत्र योजनाएं												
	कुल												

नोट: (i) खेल गतिविधियों से संबंधित, क्षमता निर्माण, कौशल विकास, रोजगार सृजन से जुड़ी तथा बी जी एफ द्वारा सुझाई गई योजनाएं एक पृथक शीट पर अलग से दर्शाई जाएं।

अनुलग्नक – VII

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी ए डी पी)

फार्म जी एफ आर 19 ए

(नियमावली (150) के तहत भारत सरकार का निर्णय (1) देखें)

उपयोग प्रमाणपत्र संबंधी फार्म

क्रम सं.	पत्र सं. एवं दिनांक	राशि	
	भारत सरकार द्वारा निधियों के अनुमोदन के संबंध में जारी किए गए पत्र तारीख सहित	वह वर्ष जिसके लिए राशि अनुमोदित की गई	प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष ------- के दौरान मंत्रालय/विभाग के हाशिए में दिए गए पत्र सं. के तहत ---------- के पक्ष में अनुमोदित ---------- रु. के सहायता अनुदान तथा विगत वर्ष के अव्ययित बकाया के आधार पर ---------- रु. में से ---------- रु. की राशि ---------- उद्देश्य के लिए खर्च की गई है जिसके लिए यह अनुमोदित की गई थी तथा ---------- रु. की शेष राशि जो वर्ष के अंत तक उपयुक्त रही, को सरकार को (दिनांक ---------- के ----------सं. के तहत) अभ्यर्पित कर दी गई हैं तथा इन्हें आगामी वर्ष ----------के दौरान देय सहायता अनुदानमें समायोजित कर दिया जाएगा।
	कुल		

2. प्रमाणित किया जाता है कि मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि जिन शर्तों पर सहायता अनुदान को अनुमोदित किया गया था उन्हें पूर्ण रूपेण पूरा किया गया है/किया जा रहा है तथा, यह कि मैंने यह पता लगाने के लिए कि क्या धन का उपयोग वास्तव में उसी उद्देश्य हेतु हुआ है जिसके लिए यह राशि अनुमोदित की गई थी, निम्नलिखित जांच की है।

की गई जांच का प्रकार:

1.

2.

3.

हस्ताक्षर ----------

पदनाम ----------

दिनांक ----------